



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22022022-233659
CG-MH-E-22022022-233659

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 778]
No. 778]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2022/फाल्गुन 3, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022/PHALGUNA 3, 1943

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 22 फरवरी, 2022

का.आ. 807(अ)—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 26 नवम्बर 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4509 (अ) तारीख 25 नवम्बर 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, वर्धा (सेवाग्राम) – बल्लारशाह तीसरी रेलवे लाइन के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20(क) की उप धारा (4) के अधीन दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात् 'जनसंग्राम' और 'दैनिक राष्ट्रउन्नती' में तारीख 06 दिसंबर 2021 को प्रकाशित किया गया था।

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गए हैं।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में वर्धा से नागरी सेक्शन के अंतर्गत 4 गाँवों का, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपजिलाधिकारी, (भूसंपादन) विदर्भ पाटबंधारे महामंडल वर्धा, के अधीन विशेष रेल परियोजना वर्धा (सेवाग्राम) – बल्लारशाह तीसरी रेलवे मार्ग के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

अ.क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भूधारणा पद्धति	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे. आर. /चौ.मी.)	संपादन क्षेत्र (हे. आर. /चौ.मी.)
1	63/LAQ-47/21-22	बरबडी	वर्धा	उत्तम गॅलवा मेटॅलिक्स ली. वर्धा	129	1	0.40	0.14
						कुल	0.40	0.14
1	72/LAQ-47/21-22	लाडकी	हिंगणघाट	अंबादास किसना घुबडे, चंद्रभागा किसना घुबडे, हरिचंद किसना घुबडे, प्रभाकर किसना घुबडे, नंदा विनायक ढगे, कोसल्या महादेव रेवतकर	325	1	0.72	0.03
						कुल	0.72	0.03
1	71/LAQ-47/21-22	इटलापूर	हिंगणघाट	विठ्ठल तानबाजी खोडे	52/1अ	1	0.83	0.21
2	71/LAQ-47/21-22	इटलापूर	हिंगणघाट	विठ्ठल तानबाजी खोडे	52/1ब	1	1.33	0.07
3	71/LAQ-47/21-22	इटलापूर	हिंगणघाट	विठ्ठल तानबाजी खोडे	52/2ब	1	1.01	0.01
						कुल	3.17	0.29
1	64/LAQ-47/21-22	सातेफळ	हिंगणघाट	जयभारत मारोजी लखोटे, दयाल मारोजी लखोटे, सिद्धार्थ मारोजी लखोटे, किशोर मारोजी लखोटे, यशोदा सखाराम पाटील,	70	2	0.47	0.02

अ.क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भूधारणा पद्धति	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे. आर. /चौ.मी.)	संपादन क्षेत्र (हे. आर. /चौ.मी.)
				महानंदा गजानन म्हस्के, कोसल्या दादाजी वासेकर, मंदा अरुण शिंगाडे, निर्मला प्रभाकर लखोटे, योगेश्वर प्रभाकर लखोटे, रविराज प्रभाकर लखोटे, वैशाली जनार्दन पाटील				
						कुल	0.47	0.02
						कुल	4.760	0.48

[फा. सं. WR/WR-BPQ/तीसरी लाइन/भूमि/20E/III]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd February, 2022

S.O. 807(E)— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 4509 (E) dated the 25 December, 2021 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 26th November 2021 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Wardha (Sewagram)-Ballarshah 3rd line** in the district of Wardha in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Jansagram” and “Dainik Rashtraunnati” Dated 06 December 2021 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further , in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project Wardha (Sewagram)-Ballarshah 3rd line in 4 villages in Wardha- Nagri Section under Dy. Collector (Land Acquisition), Vidarbha Patbandhare Vikas Mahamandal, Wardha the district Wardha in the State of Maharashtra.

Sr. No.	Land acquisition Case No.	Name of the village	Taluka	Name of land holder	Survey No.	Land Holding Method	Total area as per 7/12 (H.R / sq.m.)	Acquisition (H.R / sq.m.)
1	63/LAQ-47/21-22	Barbadi	Wardha	Uttam Galva Metallic ltd Wardha	129	1	0.40	0.14
Total							0.40	0.14
1	72/LAQ-47/21-22	Ladki	Hinganghat	Ambadas kisana Ghubde Chandrabhaga Kisana Ghubde Harichand kisana Ghubde Prabhakar kisana Ghubde Nanda Vinayak Dhage Kausalya mahadeo Rewatkar	325	1	0.72	0.03
Total							0.72	0.03
1	71/LAQ-47/21-22	Italapur	Hinganghat	Vitthal Tanbaji Khode	52/1a	1	0.83	0.21
2	71/LAQ-47/21-22	Italapur	Hinganghat	Vitthal Tanbaji Khode	52/1b	1	1.33	0.07
3	71/LAQ-47/21-22	Italapur	Hinganghat	Vitthal Tanbaji Khode	52/2b	1	1.01	0.01
Total							3.17	0.29
1	64/LAQ-47/21-22	Satefal	Hinganghat	Jaybharat Mariti Lakhote, Dayal Maroti Lakhote, Siddharth Maroti Lakhote, Kishor Maroti Lakhote, Yashoda Sakham Patil, Mahananda Gajanan Maske, Kausalya Dadaji Vasekar, Manda Arun Shingade, Nirmala Prabhakar Lakhote, yogeshwar Prabhakar Lakhote, Raviraj Prabhakar Lakhote, Vaishali Janardhan Patil.	70	2	0.47	0.02
Total							0.47	0.02
Total							4.760	0.48

[F. No.: WR/WR-BPQ/Third Line/Land/20E/III]

MANOJ SHARMA, Chief Admin. Officer (Construction)